न्यायालय सहायक कलक्टर (शहर), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दू खत्री आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 60 / 2015
आरसीएमएस नम्बरः– 2015 / 00058

1. अचल गुप्ता पुत्र श्री अनिल कुमार गुप्ता महाजन
2. शिखा गुप्ता पत्नी श्री अचल गुप्ता
3. अनुज गुप्ता पुत्र श्री अनिल कुमार गुप्ता
4. निशारानी गुप्ता पत्नी अनिल कुमार गुप्ता निवासीगण डी–1 / 71 गोल्ड कापट अपाटमेंट प्लाट नम्बर 4 सैक्टर 11 द्वारका नई दिल्ली हाल निवासी ग्राम नापासर तहसील व जिला बीकानेर

......वादीगण

——बनाम——

1. विजय पाल बिश्नोई पुत्र श्री जगदीश बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी 12 / 72 एम.पी. कॉलोनी बीकानेर प्रोपराईटर एग्रो सोल्युशन बीकानेर
2. एम / एस काव्या एग्रो समाजान भुतनाथ मंदिर करमीसर तीराहा, गजनेर रोड बीकानेर जरिये मालिक विजय पाल बिश्नोई पुत्र जगदीश बिश्नोई
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीकानेर

......प्रतिवादीगण

वाद बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री सुनिल कुमार चौधरी अभिभाषक वादी।
2. प्रतिवादीगण अनुपस्थित।
3. स्टेट की और से राजपेरोकार

निर्णय

दिनांकः– 31/3/21

इस वाद पत्र में सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की कृषि भूमि ग्राम रोही नापासर के खसरा नम्बर 1656 / 1, 1657 / 1, 1653 / 1, 1653 / 2, 1653 / 3, 1655 व 1662 में कुल तादादी 19.43 हैक्टयर स्थित है, तथा उक्त कृषि भूमि पर वादीगण की कब्जा काश्त है, तथा वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर काश्तकार दर्ज है। वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है, तथा वादीगणों के द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि अलग–अलग पंजीकृत विक्रय–पत्रों के माध्यमों से खरीद की गई है, तथा वादी का नाम उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है, विक्रय –पत्र इंतकाल वा जमांबदी की प्रतिलिपि वास्ते मुलाहिजा वाद पत्र के साथ पेश की जा रही है। वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि पर खरीद दिनांक से कब्जा काश्त है, प्रतिवादी संख्या 2 का मालिक व प्रोपराईटर प्रतिवादी संख्या 1 है, प्रतिवादी संख्या 1 वा 2 का वादीगण की उपरोक्त कृषि भूमि से कोई सरोकार नही है, ना ही किसी प्रकार का कोई लेना देना है। वादीगण ने कुछ समय पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 वा 2 को अपनी कृषि भूमि में जैतुन के पौधे लगाने हेतु स्वीकृति दी थी, परन्तु बाद में जब प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपने नियत समय सीमा में अपना काम पूरा नही किया तथा वादीगण के साथ धोखाधडी कर वादीगण के लाखों रूप्यो की गडबडी की दी तो वादीगण ने प्रतिवादी से काम करवाना बंद कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से अपनी रकम वापस भरने की मांग रखी तो प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण से नाराज़ हो गया तथा वादीगण को डराने व धमकाने की कोशिश भी करने लगा है। वादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ तमाम व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिये जाने के बाद दिनांक 6.9.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कार्यालय में जाकर अपने रूप्यो का हिसाब करने व [illegible]स देने की मांग की तो प्रतिवादी संख्या 1 सख्त नाराज हो गया तथा प्रतिवादी [illegible] खुलेआम धमकी दी है, कि वह वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य नहीं करने देगा, तथा वादीगण को जबरन बेदखल कर देगा, तथा वादीगण के कब्जा काश्त में द[illegible] अंदाली कारित करेगा, [illegible]स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा इस प्रकार के धमकी दिये जाने के कारण वादीगण को यह हक पैदा हो गया है, कि वह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की हासिल करे कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी पैदा नही करे, ना ही वादीगण की उपरोक्त कृषि भूमि में जबरन प्रवेश कर उपरोक्त भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2022.03.22 12:03:33 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा करे, ना ही वादीगण को जबरन बेकाबिज करे ना ही अपने नौकरो व एजेन्टो से वादीगण के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी पैदा करवावे, ना ही कोई ऐसा तर्क या फेल करे, जिससे की वादीगण के हको पर कोई बुरा असर पडता हो। वादीगण सीधे साधे महाजन जाति के लोग है, तथा दिल्ली के व्यापारी वर्ग के व्यक्ति है, प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी चालाकी से वादीगण को अपनी बातों में फसाकर लाखों रूपये हडप किये बैठा है, तथा वादीगण को उनकी कृषि भूमि भी हडपने की धमकी दे रहा है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नही है, कि वह रिकार्डेड काश्तकार की भूमि मे जबरन प्रवेश कर कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करे ऐसी स्थिति में वादीगण का मामला प्रथम दृष्टया मामला है, तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू भी वादीगण के पक्ष में है, ऐसी स्थिति में वादीगण चिर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर है, इसलिए मामला में पक्षकार बनाया गय है, मामला स्थाई निषेधाज्ञा का है, तथा अर्जेन्ट नैचर का है, प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध कोई डायरेक्ट अनुतोष की मांग नही की गई है, ऐसी स्थिति में दावा धारा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में पेश किया जा रहा है। लिहाजा वाद पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री चिर स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वाद पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में किसी प्रकार जबरन प्रवेश न करे ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में कोई दखलअंदाजी करे ना ही वादीगण की शांतिपूर्ण भोग व उपयोग में कोई बाधा डाले ना ही वादीगण की उपरोक्त कृषि भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करे ना ही अपने नौकरों व एजेन्टो के माध्यम से वादीगण की उपरोक्त कृषि भूमि में प्रवेश करे वादीगण के कब्जा में दखल अंदाजी करे ना ही कोई ऐसा तर्क या फेल करे जिससे वादीगण के ही तो पर कुठराघात हो।

इस वाद के पेश होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगणों को जरिये समन से तलब किया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। पत्रावली शहादत वादी में रखी गई। वादी की ओर से वादो स्वंय अचल गुप्ता हाजिर प्रर्दश अंकित की जाकर ब्यान दर्ज किये गये। प्रर्दश जमांबदी खसरा नम्बर 656/1 EXP-1, जमांबदी खसरा नम्बर 657/1 EXP-2, जमाबंदी खसरा नम्बर 1653/1 EXP-3, जमांबदी खसरा नम्बर 1655, 1662 EXP-4, जमांबदी खसरा नम्बर 1653/2 EXP-5, जमांबदी खसरा नम्बर 1653/3 EXP-6 अंकित की गई।

बहस वकिल वादी सुनी गई। वकिल वादी ने बहस करते हुवे निवेदन किया की वादगत भूमि वादीगण जरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 13.02.2014 की खरीद की गई। वादीगण ने वादगत भूमि पर प्रतिवादीगण को जैतुन के पेड लगाने के लिए स्वीकृति दी थी, प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी समय सीमा मे काम पुरा नही किया और धोखाधडी कर लाखो रूप्ये हडप लिये तथा वादीगण को अपने खातेदारी खेतो से बेदखल करने की धमकियां देते है। वादगत भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नही है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर। चिर स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे कि वादीगण के खातेदारी खेत रोही नापासर खसरा नम्बर 1656/1, 1657/1, 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1655 व 1662 में कुल तादादी 19.43 हैक्टयर भूमि मे प्रवेश नही करे ना ही किसी को प्रवेश करावे, ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न करे, वा नही बलपूर्वक कब्जा करे, ना ही अपने नौकरों एवं एजेन्टो के माध्यम से वादीगण के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करे।

हमने बहस वकिल वादीगण सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की प्रतियां एवं जमांबदी संम्वत 2075 से 2078 खसरा नम्बर 1656/1, 1657/1, 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1655 व 1662 में कुल तादादी 19.43 हैक्टयर के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि वादीगण वादगत भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई हाजिर आया नही है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2022.03.22 12:03:33 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर [illegible] वाद स्वीकार किया जाकर। चिर स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि वादीगण के खातेदारी [illegible] रोही ग्राम नापासर के खसरा नम्बर 1656/1, 1657/1, 1653/1, 1653/2, 1653/3, 1655 व 1662 में कुल तादादी 19.43 हैक्टयर भूमि मे प्रवेश नही करे ना ही किसी को प्रवेश करावे, ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न करे, वा नही बलपूर्वक कब्जा करे, ना ही अपने नौकरों एवं एजेन्टो के माध्यम से वादीगण के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करे। डिर्की पर्चा जारी हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर। बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय दिनांक 31.3.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दू खत्री RAS)